

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधीक्षण अभियन्ता ((योजना)

विद्युत भवन, हाथीभाटा, जयपुर रोड अजमेर-305001

फोन/फैक्स नं.-0145.2632462/2632462, E-mail:- se_plan@rediffmail.com

क्रमांक: अविनिनिलि/अ.अ.(योजना)/अज/आर.ई./प्रे.

दिनांक

No. 65321

3 DEC 2012

आदेश-651

विषय :- वर्ष 2012-13 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

डिस्कॉम कोर्डिनेशन फोरम की दिनांक 20.11.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निगम से जारी आदेश क्रमांक आर.ई.अज.-205 दिनांक 24.03.2011 के क्रम में सामान्य श्रेणी के 1.10.2008 से 31.12.2008 तक लम्बित आवेदन पत्रों के मांग पत्र एवं तुरन्त प्राथमिकता वाले 31.10.2012 तक लम्बित आवेदकों के मांग पत्र निम्नानुसार जारी किया जावे -

सामान्य श्रेणी

- (1) 25 प्रतिशत - 1 दिसम्बर, 2012 से 15 दिसम्बर, 2012 तक,
- (2) 25 प्रतिशत - 16 दिसम्बर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक
- (3) 25 प्रतिशत - 1 जनवरी, 2013 से 15 जनवरी, 2013 तक
- (4) 25 प्रतिशत - 16 जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2013 तक

तुरन्त प्राथमिकता

समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हे तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है जिन्होंने 31.10.2012 तक आवेदन कर रखा है, के मांग पत्र 1 दिसम्बर, 2012 से 15 दिसम्बर, 2012 तक जारी किये जावे।

सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी देना सभी वृताधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

प्राथमिकता

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

कनेक्शन, के लिये सामान की ढुलाई

कृषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू0 अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वयं करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नहीं की जायेगी।

लाईन एवं सब-स्टेशन लगाने के कम में

कृषि कनेक्शन हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/.4 के.वी. सब-स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी रेट पर कराया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब-स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवन्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के कृषि कनेक्शन जारी हो।

उपरोक्त आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न - मांग पत्र का प्रारूप, मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट।

21/5/15
(आर डी गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा विभाग), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संघारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. सम्भागीय/उप मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संघारण)/वाणिज्य अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
4. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संघारण)/टी.डब्ल्यू/एम.एम./आई.टी. अजमेर डिस्कॉम.....*3.5.15*
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षण (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, (), अजमेर डिस्कॉम.....
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (), अजमेर डिस्कॉम.....
11. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
15. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
16. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
17. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

21/5/15
(आर डी गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

कार्यालय सहायक अभियन्ता (/पवस)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.....

क्र. अविबिनिलि/सअ/ /पवस/उपमोक्ता शाखा/प्रे..... दिनांक.....
सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु मांग-पत्र

सेवा में,

सर्वश्री मांग-पत्र जारी होने की
ग्राम..... तिथि.....
पोस्ट
जिला मांग-पत्र जमा कराने की
अन्तिम तिथि.....

बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपने एच.पी. के कृषि कनेक्शन हेतु सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दिनांक को आवेदन किया था। आवेदित कृषि कनेक्शन देने हेतु वरीयतानुसार आपका नम्बर आ गया है। जिसके लिए निम्न मांग अनुसार राशि सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करानी होगी।

- | | |
|---|-----------------|
| (1) एस्टीमेट की राशि | रु. |
| (2) कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि
(कृषि कनेक्शन नीति-2004 संशोधित 31.03.2007) के अनुसार | रु. |
| (3) अन्तर की राशि (1-2) | रु. |
| (4) राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (क्र.स. 3 का 50 प्रतिशत) | रु. |
| (5) निगम द्वारा वहन राशि (क्र.स.3 का 50 प्रतिशत) | रु. |
| (6) अमानत राशि | रु. |
| (7) ट्रांसपोर्टेशन चार्ज (रैडिक्ल) | रु. |
| (8) अन्य | रु. |
| (9) कुल राशि (2+6+7+8) | रु. |
| (10) पूर्व में जमा अग्रिम राशि (-) | रु. |
| कुल देय राशि (9-10) | रु. |

कुल देय राशि (शब्दों में) रूपये

- उक्त राशि उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि तक जमा नहीं कराने की स्थिति में बिना अन्य सूचना के आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा कनेक्शन चाहने हेतु आपको पुनः आवेदन करना होगा।
- कृषि कनेक्शन हेतु सामान के ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के रूप में 1500/- रूपये इस मांग-पत्र में शामिल है। यदि आप स्वयं के खर्च से ले जाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च की राशि मांग-पत्र में से कम कर दी जायेगी जिसके लिए आपको 10/- रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति-पत्र प्रारूप-अ में (पीछे दिये अनुसार) देना होगा। इस स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन के लिये रु. 1500/- देय नहीं होंगे।
- 10/- रूपये के नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिजली व अन्य फिटिंग का शपथ पत्र देना होगा। (प्रारूप-ब)
- यदि आपके नाम /परिसर में पहले से कनेक्शन की कोई बकाया राशि एवं विद्युत चोरी की राशि यदि कोई बकाया हो तो वह भी मांग पत्र की राशि के अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी।
- कनेक्शन की लाईन खींचने के लिए मार्ग/रूट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप व अन्य लोगो के आपसी विवाद की स्थिति में आगामी वरीयता क्रम वाले कनेक्शन को जारी कर दिया जायेगा।
- नवीनतम जमाबन्दी/खातेदारी अधिकार मांग पत्र की राशि जमा कराते वक्त प्रस्तुत करनी होगी। नाम परिवर्तन की स्थिति में आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
- मांग पत्र की राशि जमा कराने के दिन प्रचलित दरो के अनुसार राशि जमा करानी होगी।
- आवेदित भार से ज्यादा का कनेक्शन लेने की स्थिति में अन्तर की राशि जमा करानी होगी।
- अंतिम तिथि से पूर्व मांग-पत्र राशि कभी भी जमा कराई जा सकती है परन्तु इससे वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि के बाद कनेक्शन आवेदन तिथि के अनुसार जारी किये जायेगे।
- आपका कृषि कनेक्शन यथासम्भव माह में कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता (/ पवस)
अजमेर डिस्कॉम,

सहमति पत्र

(10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

(जो आवेदक 1500/- रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं जमा कराना चाहते हैं)

मैं पुत्र श्री निवासी.....
 ग्राम तहसील जिला
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा खसरा नं. ग्राम
 पर कृषि कनेक्शन हेतु पोल, सब-स्टेशन इत्यादि सामान मैं मेरे साधनो से
 ले जाऊँगा। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा। मेरे कृषि मांग-पत्र राशि में से
 ट्रांसपोर्टेशन की राशि 1500/- रुपये कम कर दी जावे।

दिनांक
 स्थान

शपथग्रहिता

प्रारूप 'ब'

शपथ-पत्र

(10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं पुत्र श्री निवासी.....
 ग्राम तहसील जिला
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे खसरा नं. ग्राम.....
 तहसील पर कृषि कृषि पम्प के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु
 फिटिंग का कार्य मैंने लाईसेन्सड कांटेक्टर/सुपरवाइजर/वायरमैन द्वारा "इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी
 रूल्स-1956"/"इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005" के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करवाकर टेस्ट
 करा लिया है।

आवेदक एवं शपथकर्ता

मांग पत्र का स्पष्टीकरण नोट

1. सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन हेतु वर्तमान में समय सीमा में मांग पत्र जारी करने हेतु एस्टीमेट की राशि की गणना रू. 15000/- प्रति हॉर्स पॉवर के अनुसार की जायेगी। (जो कि मांग पत्र में इंगित क.सं. (1) एस्टीमेट की राशि होगी)। कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 31.03.2007) के विन्दु संख्या 10 (i) के अनुसार ली जायेगी।
2. उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक माह के अन्त में किये गये प्रत्येक कनेक्शन के वास्तविक राशि का आकलन फील्ड सर्वे के द्वारा करेगे तथा वास्तविक लागत एवं आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि के अन्तर का मूल्यांकन करके निम्नलिखित फॉर्मेट में सम्बन्धित वृत्तलेखाधिकारी को प्रस्तुत करेगे, जो प्रति माह सूचना संकलित कर मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर) को राज्य सरकार में विवरण प्रस्तुत करने के लिये प्रेषित करेगे -

उपखण्ड का नाम-

माह

क्र. स.	आवेदक का विवरण	कनेक्शन जारी करने की तिथि	वास्तविक एस्टीमेट की राशि (अ)	कृषक द्वारा वहन एस्टीमेट की राशि (ब)	अन्तर की राशि (स) (अ-ब)	राज्य सरकार द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत)	निगम द्वारा वहन राशि (स का 50 प्रतिशत)
1							
2							
3							
	योग						